

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कमप्लीशन) अनामति प्रमाणपत्र)

पुआईसी संख्या : UPFS/2022/65902/FIR/FIROZABAD/736/CFO
दिनांक : 04-11-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **T S P S INTERNATIONAL SCHOOL** पता **KHASRA NO-1581,1578,1573,VILL-AIRAI MAUZA RAJ GARN JALESAR ROAD,FIROZABAD** तहसील - **TUNDLA** प्लॉट एरिया **3025.64 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1993.68** (वर्ग मीटर),

ब्लॉकों की संख्या - 1 जिरागे .

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेगमेंट की संख्या	कैवर्ड
A	2	0	7.32 वर्ग.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **T S P S INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करवायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **07-11-2022** को स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SHYAM VIR SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित करवायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर शेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता दिधि **09-11-2022** से **08-11-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **T S P S INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न करने जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **T S P S INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, उक्तताओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अभाव पर जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : सेल्फेक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-18/उ-पु0-8-2022/905(34)/2016टीओसीओ गृह (पुलिस) अनुभाग-8 तखनऊ दिनांक 07.01.2022 के अनुसार मन्त्र प्रधिकारी से निर्धारित कारण जाना अपेक्षित है। भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य/अंशगत परिवर्तन किए जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक 03 माह में फायर मॉक ड्रिल कराते हुए रिपोर्ट भेजना होगा। किसी प्रशिक्षित एजेंसी अथवा अग्निशमन कार्यों में दक्ष बरातक अग्निशमन अधिवक्ता से वार्षिक फायर ऑडिट कराते हुए ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की जाय। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की सम्मति सहित निर्धारित आख्या के अनुसार स्वीकृत।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Yadunath Singh

399ECS4EAF776D129806E1D9F49967F9674E1350

09-11-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : **09-11-2022**
स्थान : **FIROZABAD**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.